

आदेश

संस्था महामाया पॉलिटैक्निक ऑफ़ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी धानापुर चंदौली एवं संबद्ध संस्था संत रविदास राजकीय पॉलिटैक्निक चकिया चंदौली के संस्थाओं में रैगिंग पर प्रतिबंध के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के निर्णय, उत्तर प्रदेश शासन, एआईसीटीई नई दिल्ली एवं निदेशक प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश, कानपुर के आदेशों / निर्देशों के अनुपालन में उपरोक्त संस्था परिसर में रैगिंग पर प्रभावी प्रतिबंध हेतु निम्नलिखित अधिकारियों-कर्मचारियों की एंटी रैगिंग स्कायड समिति गठित की जाती है।

क्रम संख्या	समिति अधिकारियों का नाम एवं पदनाम	पदनाम	मोबाइल नंबर
1.	श्री विनोद कुमार विश्वकर्मा, व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	अध्यक्ष	9451133078
2.	श्री मनीष राय, व्याख्याता अंग्रेजी	सदस्य	8127687693
3.	श्री इंद्रशेखर यादव, व्याख्याता रसायन	सदस्य	9889922997
4.	श्री कृष्ण कुमार, व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	सदस्य	9412888335
5.	श्री स्वदेश कुमार, व्याख्याता, आई टी	सदस्य	9457666371
6.	श्री रंजीत प्रजापति, व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	सदस्य	9598943749
7.	सुश्री मीनाक्षी नारायण, व्याख्याता, अंग्रेजी	सदस्य	81719 20009
8.	श्री इन्दु मौर्या, व्याख्याता आई टी	सदस्य	8299302593
9.	श्री राजकमल शास्त्री, व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	सदस्य	9871717581
10.	श्री अश्वनी कुमार राय	सदस्य	9005931729
11.	श्री दिलीप कुमार, कर्मशाला अनुदेशक	सदस्य	8318170901

एंटी रैगिंग स्क्वाड समिति से अपेक्षा की जाती है कि परिसर छात्रावास तथा रैगिंग की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों का औचक निरीक्षण कर रैगिंग की घटनाओं को रोके तथा अन्य किसी संकाय सदस्य अथवा किसी कर्मचारी या छात्र/छात्राओं के माता-पिता अथवा अभिभावक द्वारा अवगत करायी गयी रैगिंग की घटना की जाँच घटना स्थल पर जा कर करें तथा सम्पूर्ण स्थिति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(दिनेश कुमार)

महामाया पॉलिटैक्निक ऑफ़ आई 0 टी 0

कार्यालय: प्रधानाचार्य, महामाया पॉलिटैक्निक ऑफ़ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी धानापुर चंदौली।

पत्रांक 555-57 /एंटी रैगिंग स्कायड समिति/ 2021-22

दिनांक 01-12-2021

प्रतिलिपि> उपरोक्त उपरोक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. उपरोक्त अधिकारी/ कर्मचारी अधिकारी महामाया पॉलिटैक्निक ऑफ़ आई. टी चंदौली एवं संत रविदास राजकीय पॉलिटैक्निक चकिया चंदौली।
2. समस्त छात्रावास वार्डन।
3. सूचना-पट्ट।